Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, SEPTEMBER 20, 2014 (BHADRA 29, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

निर्वाचन विभाग

चण्डीगढ़
तारीख : 20 सितम्बर, 2014
29 भाद्रपद, 1936 (शक)

अधिसूचना

संख्या 185/अधि./निर्वाचन-2014/2एई-9129. यत:, भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार हरियाणा राज्य की विद्यमान विधान सभा, यदि शीघ्र विघटित न हो, दिनांक 27 अक्तूबर, 2014 (सोमवार) सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक चालू रहेगी और उसके पश्चात् उसकी पदावधि के अवसान पर भंग मानी जाएगी; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) के शर्तों के अनुसार, राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन से साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार, हरियाणा राज्य के राज्यपाल, एतद्द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते है कि वे उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

राज्यपाल के नाम पर तथा उनके आदेश से,

शकुंतला जाखू
हरियाणा राज्य की मुख्य सचिव।

GOVERNMENT OF HARYANA

ELECTION DEPARTMENT

Chandigarh
Dated : the 20th September, 2014
29 Bhadrapada, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 185/Noti./Nirvachan-2014/2AE- 9129. WHEREAS, In accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Haryana, unless sooner dissolved, shall continue upto and including the 27th October, 2014(Monday); and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Haryana;

Now, therefore, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of said Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Haryana is hereby pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

By order and in the name of Governor,

SHAKUNTLA JAKHU
Chief Secretary to Government of Haryana.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

दिनांक —20 सितम्बर, 2014

29 भाद्रपद, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं० 464/हरियाणा–वि०स०/2014:—यत: हरियाणा राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी और 20 सितम्बर, 2014 (शनिवार) को हरियाणा राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग :—

(अ) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, उक्त निर्वाचन के सम्बंध में —

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	27 सितम्बर, 2014 (शनिवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	29 सितम्बर, 2014 (सोमवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	1 अक्तूबर, 2014 (बुधवार)
(घ) वह तारीख, जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा	:	15 अक्तूबर, 2014 (बुधवार)
(ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	22 अक्तूबर, 2014 (बुधवार)

नियत करता है ; और

(आ) **7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न** तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

शंगारा राम

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

Dated : — 20th September, 2014
29 Bhadrapada, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No. 464/HN-LA/2014:—WHEREAS, the Governor of the State of Haryana has, by notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and published in the official Gazette of the State on the 20th September, 2014 (Saturday), been pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State of Haryana, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election in each of the Assembly Constituencies:—

(a) the 27th September, 2014 (Saturday), as the last date for making nominations;

(b) the 29th September, 2014 (Monday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 1st October, 2014 (Wednesday), as the last date for withdrawal of candidatures;

(d) the 15th October, 2014 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 22nd October, 2014 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 7.00 AM to 6.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

SHANGARA RAM
PRINCIPAL SECRETARY TO THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

52656—C.S.—H.G.P., Chd.